FRONTIERS OF INTEGRATED ACADEMIC RESEARCH
International multidisciplinary peer-reviewed open-access journal
www.fiarjournal.in

सागर जिले में बालिका शिक्षा के प्रति महिला अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन

संजय सिंह चौहान[1*], शेर सिंह[2]

शिक्षा शास्त्र विभाग, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश, भारत - *470228*

ई-मेल*: Chauhansanjay616@gmail.com*

Article type	Research Article	**Received**	29/09/2026
Volume and issue	Vol. 1, Issue 2	**Published**	09/10/2026

How to cite this article: चौहान, स. स., एवं सिंह, श. (2026). सागर जिले में बालिका शिक्षा के प्रति महिला अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन. Frontiers of Integrated Academic Research, 1(2), 12–17. https://fiarjournal.in/article/fiar-2026-0203

सार

प्रस्तुत शोध अध्ययन सागर जिले (मध्य प्रदेश) में बालिका शिक्षा के प्रति महिला अभिभावकों के दृष्टिकोण, उनके व्यावहारिक सहयोग तथा उन्हें प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक एवं संस्थागत कारकों का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में मिश्रित-विधि का प्रयोग करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से कुल 300 महिला अभिभावकों का चयन उद्देश्यपूर्ण एवं यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु 5-बिंदु लिकर्ट मापनी एवं अर्ध-संरचित साक्षात्कार का उपयोग किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि 66.67% (200/300) महिला अभिभावक बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता व पारिवारिक कल्याण हेतु अनिवार्य मानती हैं। हालाँकि, उच्च शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में निर्णय सुरक्षा संबंधी चिंताओं और सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित दिखे। ग्रामीण (50% सहजता) की तुलना में शहरी क्षेत्रों की महिला अभिभावक (91.33% सहजता) संस्थागत संवाद, गृहकार्य में सहयोग और तकनीक के उपयोग में अधिक सहज पाई गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की दूरी, सुरक्षित परिवहन का अभाव और मौसमी कृषि कार्य मुख्य बाधाएँ उभरीं। इसके अतिरिक्त, अशिक्षित महिला अभिभावकों में प्रेरणा की प्रचुरता के बावजूद प्रक्रियात्मक व आर्थिक सीमाओं के कारण व्यावहारिक सहयोग सीमित रहा, जबकि साइबर उत्पीड़न के भय से बालिकाओं के डिजिटल उपयोग पर कठोर पारिवारिक नियंत्रण देखा गया। निष्कर्षतः, बालिका शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु केवल नामांकन पर्याप्त नहीं है; ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित परिवहन, महिला अभिभावकों हेतु डिजिटल साक्षरता, सामुदायिक करियर मार्गदर्शन तथा छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरल व पारदर्शी होना अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य शब्द (Keywords): बालिका शिक्षा, महिला अभिभावक, दृष्टिकोण, लैंगिक समानता, सागर जिला, समावेशी शिक्षा।

1. प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास, सामाजिक सहभागिता, आर्थिक स्वावलंबन और लोकतांत्रिक चेतना का आधार है। मानव पूँजी और क्षमता दृष्टिकोण यह स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को केवल आजीविका के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक जीवन चुनने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और सामाजिक विषमताओं पर प्रश्न उठाने की शक्ति देती है (Sen, 1999; Nussbaum, 2011)। सतत विकास लक्ष्य (SDG) 4 एवं 5 शिक्षा में लैंगिक समानता और समावेशी गुणवत्ता की आवश्यकता पर विशेष बल देते हैं (United Nations, 2015)।

भारत में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, परंतु माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर विद्यालय छोड़ने (Drop-out) का जोखिम बना रहता है। ग्रामीणता, गरीबी, जातिगत विषमता, विद्यालय की दूरी, सुरक्षित परिवहन का अभाव और डिजिटल संसाधनों की कमी जैसे कारक बालिका के शैक्षणिक सफर को प्रभावित करते हैं (UNESCO, 2020; UNICEF, 2021)। इस प्रक्रिया में महिला अभिभावक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह बालिका के दैनिक जीवन, समय-प्रबंधन, सुरक्षा और आकांक्षाओं से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। प्रस्तुत अध्ययन सागर जिले के संदर्भ में महिला अभिभावकों के इस दृष्टिकोण का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

CC BY-NC 4.0

2. वैचारिक एवं नीतिगत ढाँचा (Conceptual & Policy Framework)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21A लैंगिक समानता और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का विधिक आधार प्रदान करते हैं (Government of India, 2009)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने लैंगिक समावेशन निधि (Gender Inclusion Fund) और वंचित समूहों के लिए विशेष ढाँचागत सुविधाओं का सुझाव दिया है (Ministry of Education, 2020)।

दृष्टिकोण का विश्लेषण नियोजित व्यवहार के सिद्धांत (Ajzen, 1991) और सामाजिक अधिगम सिद्धांत (Bandura, 1986) पर आधारित है। महिला अभिभावक का दृष्टिकोण तीन स्तरों से निर्मित होता है:

(i) व्यक्तिगत स्तर: आयु, स्वयं का शिक्षा स्तर, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक चेतना।

(ii) पारिवारिक स्तर: पारिवारिक आय, घरेलू श्रम का लैंगिक वितरण, निर्णय-सत्ता और विवाह संबंधी प्राथमिकताएं।

(iii) संस्थागत एवं सामुदायिक स्तर: विद्यालय की दूरी, सुरक्षा, महिला शिक्षकों की उपलब्धता और सामाजिक मानदंड।

3. अनुसंधान कार्यप्रणाली (Research Methodology)

3.1 शोध का स्वरूप (Research Design)

यह अध्ययन विवरणात्मक एवं तुलनात्मक सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। इसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों उपागमों का समन्वय करते हुए मिश्रित-विधि का उपयोग किया गया है।

3.2 प्रतिदर्श (Sample)

अध्ययन हेतु सागर जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से कुल 300 महिला अभिभावकों का चयन उद्देश्यपूर्ण एवं यादृच्छिक नमूना चयन विधि द्वारा किया गया। प्रतिदर्श का ग्रामीण-शहरी तथा शिक्षित-अशिक्षित वितरण निम्नानुसार है:

सारणी 1: प्रतिदर्श का भौगोलिक एवं शैक्षणिक वितरण (N = 300)

क्षेत्र (Residence)	शिक्षित महिला अभिभावक (Educated)	अशिक्षित महिला अभिभावक (Uneducated)	कुल (Total)
ग्रामीण (Rural)	90 (60%)	60 (40%)	150 (50%)
शहरी (Urban)	130 (86.67%)	20 (13.33%)	150 (50%)
कुल (Total)	220 (73.33%)	80 (26.67%)	300 (100%)

3.3 उपकरण (Tools)

(i) दृष्टिकोण मापनी: लिकर्ट 5-बिंदु मापनी (*Likert 5-Point Scale*) (Likert, 1932; DeVellis & Thorpe, 2021) का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक कथनों के साथ किया गया।

(ii) अर्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची: गुणात्मक अंतर्दृष्टि एवं व्यावहारिक अनुभवों को दर्ज करने हेतु।

4. परिणाम एवं विश्लेषण

4.1 बालिका शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण

कुल 300 महिला अभिभावकों में से 200 महिलाओं (66.67%) का दृष्टिकोण बालिका शिक्षा के प्रति स्पष्ट रूप से सकारात्मक एवं समर्थक पाया गया। ये महिला अभिभावक बालिका शिक्षा को व्यक्तिगत विकास, स्वावलंबन और पारिवारिक कल्याण के लिए आवश्यक मानती

हैं। हालाँकि, उच्च शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में निर्णय सुरक्षा संबंधी चिंताओं और पारंपरिक सामाजिक मानदंडों से प्रभावित पाए गए (सारणी 2)।

4.2 ग्रामीण एवं शहरी तथा शैक्षणिक स्तर के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण

शोध के आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि निवास स्थान (ग्रामीण/शहरी) और शैक्षणिक योग्यता का महिला अभिभावकों की तकनीकी व संस्थागत सहजता पर सीधा प्रभाव पड़ता है (सारणी 3):

[I] ग्रामीण क्षेत्र (N = 150):

(i) ग्रामीण क्षेत्र की कुल 150 महिलाओं में से 60 महिला अभिभावक (40%) अशिक्षित थीं।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र की कुल 150 महिलाओं में से 75 महिलाएँ (50%) शिक्षण प्रक्रियाओं एवं सहयोग में सहज पाई गईं।

(iii) मुख्य बाधाएँ: विद्यालय की दूरी, सुरक्षित परिवहन का अभाव, मौसमी कृषि कार्य तथा आर्थिक व प्रक्रियात्मक सीमाएँ (Muralidharan & Prakash, 2017)।

[II] शहरी क्षेत्र (N = 150):

(i) शहरी क्षेत्र की कुल 150 महिलाओं में से 130 महिला अभिभावक (86.67%) शिक्षित थीं।

(ii) शहरी क्षेत्र की कुल 150 महिलाओं में से 137 महिलाएँ (91.33%) तकनीक, संस्थागत संवाद और गृहकार्य में सहयोग के साथ पूरी तरह सहज थीं।

(iii) मुख्य कारक: शैक्षणिक संस्थानों व कोचिंग की सुलभता, परिवहन साधन और उच्च साक्षरता दर।

4.3 डिजिटल विभाजन एवं ऑनलाइन सुरक्षा

स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुँच में स्पष्ट लैंगिक विषमता पाई गई:

(i) शहरी क्षेत्रों की 91.33% (137/150) महिलाएँ तकनीक के उपयोग के प्रति सहज पाई गईं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 50% (75/150) महिलाएँ ही इसमें सहज थीं।

(ii) महिला अभिभावकों में ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर उत्पीड़न और अनुचित सामग्री को लेकर गहरी चिंताएँ देखी गईं, जिसके कारण कई परिवारों में बालिकाओं के डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर कठोर नियंत्रण लगाया जाता है (UNESCO, 2023)।

शोध दर्शाते हैं कि 66.67% महिला अभिभावक बालिका शिक्षा को आत्मनिर्भरता और पारिवारिक उन्नति के लिए आवश्यक मानती हैं। परंतु उच्च शिक्षा और रोजगार के निर्णयों पर सामाजिक मान्यताएँ, कम उम्र में विवाह और सुरक्षा की चिंताएँ हावी हो जाती हैं। यह स्थिति अमर्त्य सेन (1999) और मार्था नुसबाम (2011) के क्षमता दृष्टिकोण की पुष्टि करती है कि शिक्षा के वास्तविक लाभ के लिए सुरक्षित माहौल और सामाजिक सहयोग अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रों की 91.33% महिलाएँ शैक्षणिक व तकनीकी गतिविधियों में सहज पाई गईं, जिसका मुख्य कारण बेहतर संस्थान, कोचिंग और सुरक्षित परिवहन की उपलब्धता है। इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों की 50% महिलाओं की असहजता का कारण केवल सामाजिक रूढ़ियाँ नहीं, बल्कि विद्यालय की दूरी, असुरक्षित आवागमन और मौसमी कृषि कार्य हैं। मुरलीधरन एवं प्रकाश (2017) के अनुसार बुनियादी और भौतिक बाधाएँ बालिकाओं की शिक्षा दर को सीधे प्रभावित करती हैं।

शिक्षित महिलाएँ विद्यालयी प्रक्रियाओं और पढ़ाई में अधिक सक्रिय योगदान दे पाती हैं। अशिक्षित अभिभावक प्रेरित होने के बावजूद आर्थिक और प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण सीमित सहयोग ही दे पाती हैं। साथ ही, साइबर सुरक्षा व ऑनलाइन उत्पीड़न के डर से कई परिवार बालिकाओं के डिजिटल संसाधनों के उपयोग पर पाबंदी लगाते हैं (UNESCO, 2023)।

सारणी 2: बालिका शिक्षा के प्रति महिला अभिभावकों का समग्र दृष्टिकोण

श्रेणी (Category)	महिला अभिभावकों की संख्या (N = 300)	प्रतिशत (%)
सकारात्मक / अनुकूल दृष्टिकोण (Favorable)	200	66.67%
तटस्थ / सीमित दृष्टिकोण (Neutral / Conditional)	100	33.33%
कुल (Total)	300	100%

सारणी 3: क्षेत्रवार शिक्षा स्तर एवं शैक्षणिक/तकनीकी गतिविधियों में सहजता

क्षेत्र	कुल प्रतिदर्श	शिक्षित महिलाएँ	अशिक्षित महिलाएँ	शैक्षणिक/तकनीकी प्रक्रियाओं में सहज महिलाएँ	सहजता प्रतिशत (%)
ग्रामीण (Rural)	150	90 (60%)	60 (40%)	75	50.00%
शहरी (Urban)	150	130 (86.67%)	20 (13.33%)	137	91.33%
अंतर / कुल	300	220	80	212	70.67%

5. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सागर जिले में बालिका शिक्षा के प्रति महिला अभिभावकों का दृष्टिकोण केवल 'समर्थन' या 'विरोध' का सरल विभाजन नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक परिघटना है। कुल 66.67% महिला अभिभावक बालिका शिक्षा को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वावलंबन और पारिवारिक कल्याण के लिए अनिवार्य मानती हैं। हालाँकि, माध्यमिक स्तर के बाद उच्च शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में निर्णय सुरक्षा, सुरक्षित परिवहन, विद्यालय की दूरी, आर्थिक लागत और पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं से गहराई से प्रभावित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों (50% सहजता) की तुलना में शहरी क्षेत्रों में (91.33% सहजता) संसाधनों, कोचिंग और परिवहन की सुलभता के कारण अधिक अनुकूल वातावरण पाया गया। इसके अलावा, ऑनलाइन सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण बालिकाओं के डिजिटल उपयोग पर कठोर पारिवारिक नियंत्रण देखा गया।

6. व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव

(i) सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन व्यवस्था: ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए माध्यमिक व उच्च विद्यालयों तक सुरक्षित एवं निःशुल्क परिवहन सुविधा (जैसे विशेष बस या साइकिल योजना का सुदृढ़ीकरण) उपलब्ध कराई जाए।

(ii) डिजिटल साक्षरता व साइबर सुरक्षा जागरूकता: महिला अभिभावकों एवं बालिकाओं के लिए साइबर सुरक्षा, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और डिजिटल अवसरों पर विशेष कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।

(iii) सामुदायिक परामर्श एवं करियर मार्गदर्शन: स्थानीय स्तर पर सफल महिला रोल मॉडल्स के माध्यम से अभिभावकों को उच्च शिक्षा के दूरगामी आर्थिक व सामाजिक लाभों के प्रति जागरूक किया जाए।

(iv) सरल व पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया: छात्रवृत्ति, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रक्रिया को सहज बनाया जाए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इसका निर्बाध लाभ ले सकें।

7. लेखकों का योगदान:

संजय सिंह चौहान: शोध कार्य को ज़मीनी स्तर (क्षेत्रीय कार्य/फील्डवर्क) पर पूर्ण किया, आँकड़ों का संग्रह व विश्लेषण किया तथा शोध पत्र का प्रारूप एवं लेखन तैयार किया।

शेर सिंह: शोध अध्ययन की रूपरेखा तैयार की तथा शोध पत्र की समीक्षा एवं अंतिम संपादन किया।

संदर्भ

Ajzen, I. (1991). द थ्योरी ऑफ प्लैन्ड बिहेवियर (*The theory of planned behavior*). ऑर्गनाइज़ेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन डिसीजन प्रोसेसिज़, 50(2), 179–211.

ASER Centre. (2023). एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (रूरल) 2022 (*Annual Status of Education Report (Rural) 2022*). प्रथम/असर सेंटर.

Azam, M., & Kingdon, G. G. (2013). आर गर्ल्स नेगलेक्टेड इन द एलोकेशन ऑफ डिसीज़न्स इन इंडिया? (*Are girls neglected in the allocation of decisions in India?*). द जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, 49(12), 1662–1682.

Bandura, A. (1986). सोशल फाउंडेशन्स ऑफ थॉट एंड एक्शन: ए सोशल कॉग्निटिव थ्योरी (*Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*). अप्रेंटिस-हॉल.

Beaman, L., Duflo, E., Pande, R., & Topalova, P. (2012). फीमेल लीडरशिप रेज़िज़ एस्पिरेशंस एंड एजुकेशनल अटैनमेंट फॉर गर्ल्स: ए पॉलिसी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया (*Female leadership raises aspirations and educational attainment for girls: A policy experiment in India*). साइंस, 335(6068), 582–586.

Department of School Education and Literacy. (2023). यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2021-22 रिपोर्ट. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.

DeVellis, R. F., & Thorpe, C. T. (2021). स्केल डेवलपमेंट: थ्योरी एंड एप्लिकेशन्स (*Scale development: Theory and applications*) (5वां संस्करण). सेज पब्लिकेशन्स.

Directorate of Census Operations, Madhya Pradesh. (2014). डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक: सागर. महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत.

Duflo, E. (2001). स्कूलिंग एंड लेबर मार्केट आउटकम्स ऑफ स्कूल कंस्ट्रक्शन इन इंडोनेशिया (*Schooling and labor market outcomes of school construction in Indonesia*). अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, 91(4), 795–813.

Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). द साइकोलॉजी ऑफ एटीट्यूड्स (*The psychology of attitudes*). हार्कोर्ट ब्रेस जोवानोविच.

Government of India. (2009). बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009). विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार.

International Institute for Population Sciences (IIPS) & ICF. (2021). नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5), 2019–21: इंडिया. आईआईपीएस (IIPS).

Jensen, R. (2012). डू लेबर मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ अफेक्ट यंग वीमेन्स वर्क एंड फैमिली डिसीज़न्स? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फ्रॉम इंडिया (*Do labor market opportunities affect young women's work and family decisions? Experimental evidence from India*). द क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, 127(2), 753–792.

Ministry of Education. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020). भारत सरकार.

Muralidharan, K., & Prakash, N. (2017). साइकिलिंग टू स्कूल: इन्क्रीज़िंग सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट फॉर गर्ल्स इन इंडिया (*Cycling to school: Increasing secondary school enrollment for girls in India*). अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल: एप्लाइड इकोनॉमिक्स, 9(3), 321–350.

Nussbaum, M. C. (2011). क्रिएटिंग कैपेबिलिटीज़: द ह्यूमन डेवलपमेंट एप्रोच (*Creating capabilities: The human development approach*). हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

Sen, A. (1999). डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम (*Development as freedom*). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

UNESCO. (2020). ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020: इन्क्लूजन एंड एजुकेशन: ऑल मीन्स ऑल (*Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education: All means all*). यूनेस्को.

UNICEF. (2021). इम्प्रूविंग गर्ल्स एजुकेशन इन साउथ एशिया: प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस (*Improving Girls' Education in South Asia: Progress and Challenges*). यूनिसेफ रीजनल ऑफिस फॉर साउथ एशिया.

World Bank. (2018). वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018: लर्निंग टू रियलाइज़ एजुकेशन्स प्रॉमिस (*World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*). विश्व बैंक (World Bank).